रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 1998/श्रावण 30, 1920
No. 530] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 1998/SRAVANA 30, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(सड़क पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998

का. आ. 716 (अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्से अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के 161/2 कि.मी. में नौय्यल नदी पर अट्टापालाम में मौजूदा पुल और उसी पुल की अतिरिक्त दो लेनों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा और ई.सी.सी. कंस्ट्रक्शन ग्रुप, मुख्यालय-पोस्ट बाक्स सं. 979,माउंट पूनमाल्ली रोड, मानापक्कम, चैन्नाई-600089 के माध्यम से मै. लारसन एंड टूब्रो लि., एल एंड टी हाउस, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001 के साथ उक्त पुल और अतिरिक्त दो लेन वाले पुल के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण तथा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किए गए करार को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा उक्त मै. लारसन एंड टूब्रो लि. अथवा उनके प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर इस पुल पर यातायात शुरू होने की तारीख से 2 दिसम्बर, 2018 तक शुल्क वसूल करने और उसे रखने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची
(राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के 161/2 कि.मी. में नौय्यल नदी की अट्टपालाम पुल के प्रयोक्ताओं से वसूली की जाने वाली दरें)

क्रम.सं.	वाहन श्रेणी	प्रतिवाहन प्रति चक्कर शुल्क दर (रुपए)
1	2	3
1.	कार अथवा जीप अथवा वैन	5
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	15
3.	बस	15
4.	ट्रक	15
5.	बहुधुरीय वाहन अथवा	23
6.	भारी निर्माण उपकरण	

टिप्पणी-1:—निम्न प्रकार के वाहनों को चुंगी से छूट दी जाती है और रियायत प्राप्तकर्त्ता कंपनी उन्हें सुविधा का निशुल्क प्रयोग करने की अनुमति देगी, अर्थात् :—

(i) अति विशिष्ट व्यक्तियों के चिह्नों से युक्त वाहन;

(ii) पुलिस वाहन (कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेसीयां);

(iii) नियोक्ता, नियोक्ता का एजेंट और प्रभारी इंजीनियर तथा उसके प्राधिकृत परियोजना संस्थापन कर्मचारियों के परियोजना वाहन;

(iv) अग्निशमन वाहन;

(v) एम्बुलेंसें;

टिप्पणी-2:—

निम्नलिखित वाहनों को अति विशिष्ट व्यक्तियों के चिह्नों से युक्त वाहन माना जाएगा अर्थात्:—

भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, केन्द्र और राज्यों के मंत्री,लोकसभा अथवा राज्य सभा में विपक्ष के नेता, राज्यपाल, राज्यों के विधायक जो मंत्रिमंडलीय मंत्रियों के स्तर के हों, कार्यकारी पार्षद अथवा केन्द्र और राज्य विधायक के अध्यक्ष अथवा सभापति, भारत की राजकीय

यात्रा पर आए विदेशी अतिथि, भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक जिनकी कारों पर सी.डी. चिह्न हों।

टिप्पणी 3 :—

चुंगी घरों के निकट लगाए गए बोर्डों पर अनुमोदित शुल्क दर अंग्रेजी, हिन्दी और तमिल भाषाओं में अवश्य प्रदर्शित की जानी चाहिए जो चालक की सीट से पठनीय हो।

[सं.आर. डब्ल्यू./एन.एच.-15013/27/94/पी.एल.]

ए.डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1998

S.O. 716 (E).—In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles, for the use of the part of the National Highways that is existing bridge at Attapalam across river Noyyal in Km. 161/2 of NH. 47 and additional two lane of the same bridge at the rates as specified in the Schedule given below, and having regard to the Agreement enttered into with M/s Larsen and Toubro Limited, L&T House, Ballard Estate, Mumbai 400001 through ECC Construction Group, Headquarters at P.O. Box No. 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai 600089 to build, operate and transfer the said bridge and additional two lane bridge and for services provided by its, hereby authorises the said M/s Larsen and Toubro Limited or its authorised legal representative to collect and retain fees at the rates as specified in the said Schedule from the date of its opening to traffic till the 2nd day of December, 2018.

SCHEDULE

(Rates to be collected from users of Attapalam bridge across river Noyyal in Km. 161/2 of NH.47)

Sl.No.	Categories of Vehicles	Fee Rates in Rs. per Vehicle per trip
1.	Car or Jeep or Van	5
2.	Light Commecial Vehicle (LCV)	15
3.	Bus	15
4.	Truck	15
5.	Multi-axle vehicle or	23
6.	Heavy construction equipment	

NOTE 1 :—

Following types of vehicles are exempted from the tolls and the concession company shall alow them to use the facility freely, namely :—

(i) Vehicles with VIP Symbols;

(ii) Police Vehicles (Law Enforcement agencies);

(iii) Project Vehicles of Employer, Employers Agent and Engineer-in-Charge and his authorised Project establishment staff;

(iv) Fire Fighting vehicles;

(v) Ambulances;

NOTE 2 :—

The following vehicles shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:—

President and Vice-President of India, Central and State Ministers, Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha, Governors, State Legislators having status of Cabinet Ministers, Executive, Councilors or Speakers or Chairman of Central and State Legislatures, Foreign dignitaries on State visit to India, foreign diplomats stationed in India using cars with CD symbols.

NOTE 3 :—

The approved fee rates must be displayed in English, Hindi and Tamil language on boards in the vicinity of Toll plazas which must be readable from driver's seat.

[No. RW/NH-15013/27/94-PL]

A.D. NARAIN, Director General (Road Development) & Add. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998

का. आ. 717 (अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्से अर्थात् सलेम की ओर 171/200 कि.मी. पर रा.रा. 47 के 141/0 कि.मी. से शुरू होकर पालघाट की ओर रा.रा. 47 से मिलने वाले कोयम्बतूर बाइपास के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा और ई सी सी कंस्ट्रक्शन ग्रुप, मुख्यालय-पोस्ट बाक्स सं. 979, माउंट पूनामाल्ली रोड, मानापक्कम, चैन्नई-600089 के माध्यम से मै. लारसन एंड टूब्रो लि., एल एंड टी हाउस, बेलार्ड एस्टेट, मुबई-400001 के साथ कोयम्बतूर बाइपास के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण तथा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किए गए करार को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा उक्त मै. लारसन एंड टूब्रो लि. अथवा उनके प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर इस पर यातायात शुरू होने की तारीख से 2 दिसम्बर, 2029 तक शुल्क वसूल करने और उसे रखने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

(कोयम्बतूर बाइपास के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरें)

क्रम.सं.	वाहन श्रेणी		प्रतिवाहन प्रति चक्कर शुल्क दर रुपए में
	राज्यीय राजमार्ग 8 के चौराहे से त्रिची अथवा कोयम्बतूर की ओर से प्रवेश करने वाले और सलेम की ओर जाने वाले वाहन तथा राज्यीय राजमार्ग 10 के चौराहे से पलानी अथवा कोयम्बतूर की ओर से प्रवेश करने वाले और कोचीन की ओर से जाने वाले वाहन। (आंशिक दर)		बाइपास के सलेम सिरे से प्रवेश करने वाले और राज्यीय राजमार्ग 8 के चौराहे से आगे जाने वाले वाहन अथवा बाइपास के कोचीन सिरे से प्रवेश करने वाले और राज्यीय राजमार्ग 10 के चौराहे से आगे जाने वाले वाहन तथा रा. रा. 10 के चौराहे से प्रवेश करने वाले और सलेम की ओर जाने वाले वाहन और राज्यीय राजमार्ग 8 के चौराहे से प्रवेश करने वाले और कोचीन की ओर जाने वाले वाहन।
			(पूर्ण दर)
1.	कार अथवा जीप अथवा वैन	7	19
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	10	28
3.	बस	20	56
4.	ट्रक	20	56
5.	बहुधुरीय वाहन अथवा भारी निर्माण उपकरण	30	84

टिप्पणी —1 :—

निम्नप्रकार के वाहनों को चुंगी से छूट दी जाती है और रियायत प्राप्त कर्त्ता कंपनी उन्हें सुविधा का निशुल्क प्रयोग करने की अनुमति देगी, अर्थात्:—

(i) अतिविशिष्ट व्यक्तियों के चिह्नों से युक्त वाहन;

(ii) पुलिस वाहन (कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां);

(iii) नियोक्ता, नियोक्ता का एजेन्ट और प्रभारी इंजीनियर तथा उसके प्राधिकृत परियोजना संस्थापन कर्मचारियों के परियोजना वाहन;

(iv) अग्निशमन वाहन;

(v) एम्बुलेंसें;

टिप्पणी 2:—

निम्नलिखित वाहनों को अतिविशिष्ट व्यक्तियों के चिन्हों से युक्त वाहन माना जाएगा अर्थात्:—

भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, केन्द्र और राज्यों के मंत्री, लोक सभा अथवा राज्य सभा में विपक्ष के नेता, राज्यपाल, राज्यों के विधायक जो मंत्रिमंडलीय मंत्रियों के स्तर के हों, कार्यकारी पार्षद अथवा केन्द्र और राज्य विधायिकाओं के अध्यक्ष अथवा सभापति, भारत की राजकीय यात्रा पर आए विदेशी अतिथि, भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक जिनकी कारों पर सी डी चिह्न हो।

टिप्पणी 3:—

चुंगी घरों के निकट लगाए गए बोर्डों पर अनुमोदित शुल्क दर अंग्रेजी, हिन्दी और तमिल भाषाओं में अवश्य प्रदर्शित की जानी चाहिए जो चालक की सीट से पठनीय हो।

[सं. आर डब्ल्यू/एन एच-15013/27/94/पी एल]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1998

S. O. 717(E).—In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of the part of the National Highways that is Coimbatore By-pass starting from Km. 141/0 of NH 47 at Salem side and rejoining NH 47 at Km. 171/200 on Palghat side at the rates as specified in the Schedule given below, and having regard to the Agreement entered into with M/s Larsen and Toubro Limited, L & T House, Ballard Estate, Mumbai-400 001 through ECC Construction Group, Headquarters at P. O. Box No. 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai, 600 089, to build, operate and transfer the Coimbatore By-pass and for services provided by it, hereby authorises the said M/s Larsen & Toubro Limited or its authorised legal representative to collect and retain fees at the rates as specified in the said Schedule from the date of its opening to traffic till the 2nd day of December, 2029.

SCHEDULE

(Rates to be collected from users of Coimbatore Bypass)

Sl. No.	Categories of Vehicles	Fee Rates	in Rs. per vehicle per trip
		Vehicles entering from Trichy or Coimbatore sides from SH 8 crossing and going Towards Salem as well as Vehicles entering from Palani or Ciombatore sides From Sh 10 crossing and Going towards Cochin. (Partial rates)	Vehicles entering from Salem end of Bypass going beyond SH-8 crossing or vehicles entering from Cochin end of Bypass and going beyond SH 10 crossing and as well as vehicles entering from SH 10 crossing and going towards Salem and Vehicles entering from SH 8 crossing and going towards Cochin

			(Full Rate)
1.	Car or Jeep or Van	7	19
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	10	28
3.	Bus	20	56
4.	Truck	20	56
5.	Multi-axle vehicle or heavy construction equipment	30	84

NOTE 1 :—

Following types of vehicles are exempted from the tolls and the concession company shall allow them to use the facility freely, namely :—

(i) Vehicles with VIP Symbols;

(ii) Police Vehicles (Law enforcement agencies);

(iii) Project Vehicles of Employer, Employer's Agent and Engineer-in-Charge and his authorised Project establishment staff;

(iv) Fire Fighting vehicles;

(v) Ambulances;

NOTE 2 :—

The following vehicles shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely :—

President and Vice President of India, Central and State Ministers, Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha, Governors, State Legislators having status of Cabinet Ministers, Executive Councilors or Speakers or Chairman of Central and State Legislatures, Foreign dignitaries on State visit to India, Foreign diplomats stationed in India using cars with CD symbols.

NOTE 3 :—

The approved fee rates must be displayed in English, Hindi and Tamil languages on boards in the vicinity of Toll plazas which must be readable from driver's seat.

[No. RW/NH-15013/27/94-PL]

A. D. NARAIN, Director General

(Road Development) & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.